**39. सदोषतः निरुद्ध की गयी जंगम वस्तुओं के परिदान के लिए या उसके लिए प्रतिकर के लिए वाद।**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है -**

1. तारीख ..................... को, वादी इसके साथ संलग्न की गयी अनुसूची में वर्णित माल का स्वामित्व प्राप्त किया (या कब्जे के अधिकार को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों का कथन करे या माल का वर्णन करे), जिसका प्राक्कलित मूल्य ... .............. रुपये है।
2. उस दिन से इस वाद के प्रारम्भ होने तक प्रतिवादी ने वादी से उसको ही निरुद्ध किया है।
3. वाद के प्रारम्भ होने के पूर्व, तारीख .......... ....... पर प्रतीक्षा करने हेतु वादी ने प्रतिवादी से उसको, मांग की और उसने उसका परिदान करने से इन्कार कर दिया।
4. वाद हेतुक तारीख............... को इस न्यायालय की अधिकारिता के साथ पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने वादी की जंगम वस्तु का सदोषतः निरुद्ध किया जिसका वर्णन इसके साथ संलग्न की गयी अनुसूची में किया जाता है।
5. वाद का मूल्यांकन निरुद्ध किये गये माल के समुचित मूल्य पर...................... रुपये पर किया जाता है, और न्यायालय शुल्क का संदाय किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी उपर्युक्त माल के निरोध या कथित माल के परिदान के लिए नुकसानी के रूप में प्रतिवादी द्वारा संदाय किया जाने के लिए................. रुपये का दावा करता है।

 वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी